

कार्यालय

उप

निदेशक,

फायर

सर्विस

लखनऊ।

संख्या: 2017/38149/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2795/डीडी
सेवा में,

दिनांक: दिसम्बर 07, 2017

अधिशाली अधियन्ता (मानचित्र सेल)
लखनऊ विकास प्राधिकरण विपिनखण्ड
गोमतीनगर लखनऊ।

विषय:-

भू0सं0-416 एवं 417(पार्ट), मोहिबुल्लापुर सीतापुर रोड लखनऊ पर मेसर्स श्री मसूद अहमद एवं श्री रियाज अहमद द्वारा प्रस्तावित मल्टीप्लेक्स/माल व्यवसायिक भवन के मानचित्र पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

कृपया अपने पत्र संख्या-405/ए0ए0/एम.सी.पी.दिनांक: 08-11-2017(अधोहस्ताक्षरी कार्यालय प्राप्त दिनांक: 16-11-2017 एवं 5-12-2017) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो उपरोक्त विषयक है।

उक्त विषयक प्रस्तावित स्थल एवं भवन मानचित्र का एन0बी0सी0-2016 की एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008/ एन0बी0सी0 के अनुसार निरीक्षण/परीक्षण कराया गया, आख्या निम्नवत् है:-

भवन की संरचना:-

1-	कुल प्लॉट एरिया-	9293.68 वर्गमीटर
2-	प्रस्तावित लोवर भूतल का कवर्ड एरिया-	2436.09 वर्ग मीटर
3-	प्रस्तावित भूतल का कवर्ड एरिया-	2550.10 वर्ग मीटर
4-	प्रस्तावित प्रथम तल का कवर्ड एरिया-	2192.23 वर्ग मीटर
5-	प्रस्तावित द्वितीय तल का कवर्ड एरिया-	2140.77 वर्ग मीटर
6-	प्रस्तावित तृतीय तल का कवर्ड एरिया-	2585.18 वर्ग मीटर
7-	प्रस्तावित चतुर्थ तल का कवर्ड एरिया-	1209.58 वर्ग मीटर
8-	प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया-	4401.44 वर्ग मीटर
9-	प्रस्तावित भवन की ऊंचाई- 24.00 मीटर है।	

भवन का अधिभोग एवं हेजार्ड श्रेणी:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की डी-6 मल्टी प्लेक्स भवन की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाचागत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग:- भवन के समाने 76 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2- प्रवेश द्वार की चौड़ाई:- प्रस्तावित भवन मानचित्र में 06.00 मीटर प्रदर्शित है।

3- सेटबैक:-

- भवन के अग्रभाग- 09.00 मीटर,
- पृष्ठ भाग- 08.00 मीटर
- पार्श्व भाग प्रथम- 08.00 मीटर
- पार्श्व भाग द्वितीय- 10.00 मीटर

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित भवन के सेटबैक एनबीसी-2016 एवं भवन विनियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा, बेसमेन्ट का कुछ भाग, बिल्डिंग इन्वोलप से बाहर है, इस लिये बेसमेन्ट की स्लोप का 75 टन भार सहन करने की क्षमता का प्रमाण-पत्र स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

4- निकास मार्ग:- प्रस्तुत भवन में 04 स्टेयरकेस (01 आन्तरिक व 03 वाह्य) जिनकी चौड़ाई क्रमशः 2.00 मीटर एवं 1.57, 1.68 मीटर एक रैम्प बेसमेन्ट से निकास हेतु चौड़ाई 4.57 मीटर का प्राविधानित किया गया है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों में ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5- बेसमेन्ट में कम्पार्ट मेन्टेशन किया जाना आवश्यक है।

5- रिफ्यूज एरिया:- आवश्यक नहीं है।

अग्निशमन व्यवस्थायें:-

1- होजरील/डाउनकमर सिस्टम :- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल पर होजरील तथा लैण्डिंग वाल्व मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

2- टेरिस टैंक एवं टेरिस पम्प :- प्रस्तावित भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 20,000 लीटर क्षमता का मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

- 3- भूमिगत टैंक:-प्रस्तावित भवन में भूमिगत टैंक 2,00,000 लीटर क्षमता का मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा ।
- 4- पम्प :- अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास मेन पम्प 2850 लीटर प्रति मिनट क्षमता का 02 विद्युत चालित, एवं समक्ष क्षमता एक डीजल चालित पम्प तथा जोकी पम्प 180 लीटर प्रति मिनट क्षमता का जिसको डी0जी0सेट से संयोजित किया जाना आवश्यक होगा ।
- 4- वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन में वेटराइजर सिस्टम यार्ड हाइड्रेंट मानको के अनुसार स्थापित है पम्प रूम से संयोजित है भारतीय मानक ब्यूरो के बी0आई0एस0-3844-1989 के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक होगा ।
- 5- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) :- प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा ।
- 6- स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा ।
- 7- हस्तचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा ।
- 8- प्रेशराइजेशन प्रणाली:- प्रस्तावित भवन के लिफ्ट,लाबी, कोरीडोर, स्टेयर केश इत्यादि को प्रेशराइज किया जाना आवश्यक है ।
- 9- स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:-
- क- सम्पूर्ण भवन में आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम अधिष्ठापित किया जाना आवश्यक होगा तथा एयर कण्डीशनिंग सिस्टम एवं आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम के मध्य इण्टरलाकिंग की व्यवस्था की जाय
- ख- स्टेयरकेश, रिफ्यूज एरिया, लिफ्ट लाबी में सप्लाई करने वाली एयर डक्ट में स्मोक डिटेक्शन स्थापित किये जाये ।
- 10- स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:-
- क- फायर चेक डोर स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग 03 हावर्स आवश्यक है ।
- ख- सिस्टम की मैकअप एयर की व्यवस्था मानको के अनुसार किया जाना आवश्यक है ।
- 11-आडी के समस्त कारीडोर एवं कामन एरिया को न्यूनतम 01 धन्टे की क्षमता के आपात कालीन विद्युत प्रकाश व्यवस्था से युक्त किया जाना आवश्यक होगा ।
- 12-आडी में बीम डिडेक्टर का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा ।
- 13- आडी में स्मोक एक्सट्रैक्शन की व्यवस्था अलग से किया जाना आवश्यक है ।
- 14-आडी में आई0एस0-2190-2010 के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूसर स्थापित किया जाना आवश्यक होगा ।
- 15- एक्जिट साईनेज :- सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित किये जाय ।
- 16- पी0ए0सिस्टम:- पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में मानक के अनुरूप स्थापित की जाय ।
- 17-सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली को अलग लाइन डालकर विद्युत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से संयोजित किया जाना आवश्यक होगा ।
- 18- प्रबन्धक/स्वामी द्वारा फायर फाइटिंग एवं स्मोक डिटेक्शन के मानचित्र 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा ।

अतः उपरोक्तानुसार भू0सं0-416 एवं 417(पार्ट),मोहिबुल्लापुर सीतापुर रोड लखनऊ में श्री मसूद अहमद एवं श्री रियाज अहमद द्वारा प्रस्तावित मल्टीप्लेक्स/माल व्यवसायिक भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया- 2016 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायें तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानको के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र

07/12/2017
(ए0बी0पाण्डेय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी/
प्रभारी उप निदेशक, लखनऊ, सर्विस
लखनऊ।

प्रतिलिपि:- श्री मसूद अहमद एवं श्री रियाज अहमद, 475/41 कदम रसूल डालीगंज लखनऊ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ ।